पत्र संख्या–6 / योजना–01–29 / 2016गृ0आ0..... /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जून, 2016

विषयः– **श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर की जाने वाली तैयारी हेतु अस्थायी थाना (पोटा हट शौचालय सहित) अस्थायी नियंत्रण कक्ष, अस्थायी यातायात पुलिस पोस्ट एवं वाच टावर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 6,17,38,850 (छः करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 6,17,38,850 (छः करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रू0) मात्र की विमुक्ति करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक–429, दिनांक–22.04.2016 के संबंध में कहना है कि श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती के अवसर पर की जाने वाली तैयारी हेतु अस्थायी थाना (पोटा हट शौचालय सहित) अस्थायी नियंत्रण कक्ष, अस्थायी यातायात पुलिस पोस्ट एवं वाच टावर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 6,17,38,850 (छः करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 6,17,38,850 (छः करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रू0) मात्र की विमुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 6,17,38,850 (छः करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार आठ सौ पचास रू0) राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या–22 के बजट शीर्ष–"4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विपत्र कोड–P405500051010 1 एवं विषय शीर्ष–53 01 –मुख्य निर्माण कार्य, राज्य योजना स्कीम कोड–HOM 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–6 / योजना–01–29 / 2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0– 6 / टि0 पर दिनांक–30.05.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / योजना–01–29 / 2016गृ0आ0.....4521..... / पटना, दिनांक 7 जून, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.6.16
सरकार के प्रधान सचिव